

**बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग**

का0आ0सं0-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-01/2026-¹⁰⁷ पटना, दिनांक 21/7/26

कार्यालय आदेश

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित राजपत्रित पदाधिकारियों को पटना केन्द्रीय पूल से C-Type आवास गर्दनीबाग नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त पर आवंटित किया जाता है:-

क्र0	Reg l'd	नाम/पदनाम	कार्यालय/विभाग	आवंटित आवास
1.	GZ16212	सुश्री ज्योत्सना कृष्ण, विशेष कार्य पदाधिकारी	सामान्य प्रशासन विभाग	C8/502 गर्दनीबाग
2.	GZ16180	श्री आनंद कुमार, पुलिस उपाधीक्षक (वितन्तु)	बिहार पुलिस मुख्यालय	C8/206 गर्दनीबाग
3.	BG8516	श्री संतोष कुमार चौधरी, अपर आयुक्त(निःशक्तता)	राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय, समाज कल्याण विभाग	C1/604 गर्दनीबाग
4.	BG8552	श्री राकेश कुमार राकेश, सहायक निदेशक	भवन निर्माण विभाग	C3/404 गर्दनीबाग
5.	BG8512	श्री गुंजन कुमार, सहायक निदेशक	योजना एवं विकास विभाग	C3/406 गर्दनीबाग
6.	BG8521	श्री अनिल कुमार सोनी, सहायक निदेशक	योजना एवं विकास विभाग	C3/503 गर्दनीबाग
7.	BG8565	श्रीमती मोनिका, प्रबंधक तकनीकी	पथ निर्माण विभाग	C3/201 गर्दनीबाग
8.	BG8567	श्रीमती प्रगति सिंह, सहायक अभियंता	पथ निर्माण विभाग	C3/202 गर्दनीबाग

- सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटी पदाधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
- नये आवंटी पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
- पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
- विभागीय आदेश सं0-3473, दिनांक-30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंस चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :-

क्र0	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया	मासिक मेंटेनेंस चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	सी- टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹660	₹880	₹1540

02

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मकान किराया भत्ता (HRA) के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

6. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:- भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-01/2026-67412(41) पटना, दिनांक:- 21/7/26

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित आवंटी पदाधिकारी/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0-1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।

आवास विवरण	आवास का स्थान	आवास का प्रकार	आवास का मालिक	आवास का मालिक का पता
04213	0222	0222	राजपत्रित आवास-01	1